THE JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK
PRODUCERS' FEDERATION LTD.
FTC CAMPUS, SEC-2, DHURWA, RANCHI – 834004
Ph.: +91-(0651) 2543055/62, MOB: 7544003404/7360035219,
Email: purchase@jmf.coop

TENDER INVITATION FOR REGISTRATION OF TRANSPORTER FOR TRANSPORTATION (LIGHT GOODS VEHICLE) OF CATTLE FEED AND OTHER MATERIALS

TENDER NO. JMF-PE-TRANSPORTER -LGV/2021-22/018

Date of Publish of Tender	:	10 June 2021
Last date for submission of Sealed Tender	:	26 June 2021 by 17:00 hrs

Name of Tenderer: ______________________________

Address: ______________________________

____

Tel./ Mob. no: ______________________________

Email ______________________________

Tender Document Fee: Rs. 500/-

All rights reserved. This material is confidential and proprietary of The Jharkhand State Co-operative Milk Producers' Federation Ltd (JMF) and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means, electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of JMF

THE JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK
PRODUCERS' FEDERATION LTD.
FTC CAMPUS, SEC-2, DHURWA, RANCHI – 834004
Ph.: +91-(0651) 2543055/62, MOB: 7544003404/7360035219,
Email: purchase@jmf.coop

पत्रांकःविपणनः132 **दिनांकः 10.06.2021**

परिवहन हेतु निविदा आमंत्रण

पशु आहार कारखाना, होटवार, राँची द्वारा उत्पादित पशु आहारों को 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक की अवधि हेतु बिहार एवं झारखंड राज्य के विभिन्न गंतव्य स्थानों में परिवहन हेतु सक्षम परिवहन संवेदकों से मुहरबंद निविदा निबंधित डाक/कुरियर या हाथों–हाथ द्वारा जमा की जाती है।

- निविदा कागजातों की बिक्री की तिथि एवं समय 10.06.2021 के पूर्वाहन 11.00 बजे से 25.06.2021 के अपरापह्न 4.30 बजे तक।
- निविदा प्राप्ति की तिथि एंव समय 26.06.2021 के अपरापह्न 5.00 बजे तक।
- निविदा खोलने की तिथि एंव समय 28.06.2021 को एडमिन ऑफिस, होटवार राँची मे पूर्वाह्न 11.30 बजे।
- निविदा प्रपत्र 500.00 (पॉच सौ रूपये) नगद जमा कर एडमिन ऑफिस, होटवार राँची से कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट www.jmf.coop से डाउनलोड कर रू0 500.00 (पॉच सौ रूपये) की किसी राष्ट्रीयकृत /अनुसूचित बैंक से बैंक ड्राफ्ट जो **''झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंध लिमिटेड''** के नाम होगा तथा राँची में भुगतेय होगा, संलग्न कर भेजा जा सकता है।
- निविदा के साथ 2000.00 (दो हजार रूपये) का डिमांड ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत /अनुसूचित बैंक **''झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंध लिमिटेड''** के नाम तथा राँची में भुगतेय होगा, अग्रधन के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा खोलते समय निविदादाता अथवा उनके एक प्रधिकृत प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकते है।
- बिना कारण बताये सभी या किसी निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
- विशेष जानकारी इस योजना के वेबसाईट www.jmf.coop पर उपलब्ध है।

प्रबंध निदेशक
झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंध
लिमिटेड

THE JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LTD.
FTC CAMPUS, SEC-2, DHURWA, RANCHI – 834004
Ph.: +91-(0651) 2543055/62, MOB: 7544003404/7360035219,
Email: purchase@jmf.coop

बोलीदाता/निविदाकर्ता को निर्देश

1. बोलीदाता से बोली दस्तावेज में सभी निर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों और विशिष्टताओं की जांच करने की अपेक्षा की जाती है। बोली दस्तावेज के लिए आवश्यक सभी जानकारी या प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
2. बोली में दो लिफाफों (एक तकनीकी बोली और दूसरी वित्तीय या मूल्य बोली सहित) एक साथ एक मुख्य लिफाफे के नीचे प्रस्तुत किया जाएगा।
3. बोली दाता बोली/निविदा दस्तावेज में या बोली दस्तावेज में अनुरोध के अनुसार उपयुक्त बोली प्रस्तुत करने के प्रारूप का उपयोग करते हुए तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा करेगा। प्रपत्रों/प्रारूपों को उनके प्रारूप में किसी भी परिवर्तन के बिना पूरा किया जाना चाहिए, और कोई विकल्प स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. निविदा सूचना में निर्दिष्ट समय के अनुसार निविदा बोली डाक/कूरियर द्वारा भेजी जा सकती है या हमारे कार्यालय में हाथ से जमा की जा सकती है। देर से प्राप्त निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
5. बोली हाथ से या डाक/कूरियर द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। डाक या कुरियर द्वारा जमा की गई बोलियों के लिए, यह बोलीदाता की जिम्मेदारी है कि बोली निर्धारित समय और तारीख को या उससे पहले हमारे कार्यालय में पहुंच जाए।
6. यदि निविदा खोलने की तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा में निर्दिष्ट समय पर अगले कार्य दिवस पर बोलियां खोली जाएंगी।
7. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) के मामले में जब तक अन्यथा बोली/निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तब तक यूनिट दरों और कीमतों को पूरी तरह से भारतीय रुपये में बोली दाता द्वारा उद्धृत किया जाएगा। सभी भुगतान केवल भारतीय रुपए में किए जाएंगे, जब तक कि बोली/निविदा दस्तावेज में अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।
8. अपनी पात्रता स्थापित करने के लिए, बोली दाताओं को बोली/निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट/अनुरोधित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।
9. परीक्षा, मूल्यांकन, तुलना और बोलियों के बाद की योग्यता, एवं अनुबंध पुरस्कार की सिफारिश से संबंधित जानकारी, बोली दाताओं या किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं की जाएगी जो आधिकारिक तौर पर ऐसी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है जब तक कि अनुबंध पुरस्कार की जानकारी सभी को नहीं दी जाती है।
10. तकनीकी या वित्तीय बोलियों की परीक्षा, मूल्यांकन, तुलना और योग्यता में सहायता के लिए, बोली मूल्यांकन समिति, अपने विवेक पर, किसी भी बोली दाता से उसकी बोली के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकती है। स्पष्टीकरण के लिए समिति का अनुरोध और बोली दाता की प्रतिक्रिया लिखित में होगी।
11. किसी बोली दाता द्वारा अपनी बोली के संबंध में प्रस्तुत कोई स्पष्टीकरण जो बोली मूल्यांकन समिति के अनुरोध के जवाब में नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन में एक बोली दाता की योग्यता का निर्धारण बोली दाता द्वारा प्रस्तुत बोली दाता की योग्यता के दस्तावेजी साक्ष्य, योग्यता और मूल्यांकन मानदंड में इंगित योग्यता मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। योग्यता और मूल्यांकन मानदंड में शामिल नहीं किए गए कारकों का उपयोग बोली दाता की योग्यता के मूल्यांकन में नहीं किया जाएगा।
13. जहां आवश्यक समझा जाए, वहां बोली मूल्यांकन समिति को बातचीत करने की पूरी शक्तियां होंगी। हालाँकि, बातचीत केवल सबसे कम बोली लगाने वाले (ओं) के साथ ही की जा सकती है।
14. जेएमएफ किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, एवं बोली प्रक्रिया को बिना कारण बतायें किसी भी समय रद्द कर सकता है और बिना कोई कारण बताए किसी भी समय बिना किसी कारण बताए और बोली दाताओं को किसी भी दायित्व के बिना सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
15. जेएमएफ उस बोली दाता को अनुबंध प्रदान करेगा जिसका प्रस्ताव मूल्यांकन और योग्यता मानदंड में निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार सबसे कम निर्धारित किया गया है और यदि बोली दाता अनुबंध को संतोषजनक ढंग से करने के लिए योग्य होने के लिए निर्धारित किया गया है।

THE JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK
PRODUCERS' FEDERATION LTD.
FTC CAMPUS, SEC-2, DHURWA, RANCHI – 834004
Ph.: +91-(0651) 2543055/62, MOB: 7544003404/7360035219,
Email: purchase@jmf.coop

परिवहन हेतु निविदा पपत्र

पासपोर्ट साइज़ फोटो का स्पेस

1. आवेदक का नाम...
2. आवेदक की स्थिति (व्यक्तिगत/फर्म/कम्पनी) ....
3. आवेदक का स्थायी पता ....

   ....
4. आवेदक का पत्राचार का पता ....

   ....
5. आवेदक का मोबाइल संख्या...
6. आवेदक का पैन कार्ड संख्या ....
7. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन संख्या ....
8. परिवहन हेतु गाडियों की संख्या:

स्वंय गाड़ियों की संख्या				जरूरत पढ़ने पर एकसाथ कितना गाड़ी उपलब्ध करवा सकते है			
1-2 MT	**3-4MT**	**5-6 MT**	**8-9 MT**	**1-2 MT**	**3-4MT**	**5-6 MT**	**8-9 MT**

9. **परिवहन दर फॉर्मेट (प्रति किमी दर पर): होटवार प्लांट से झारखंड के किसी भी स्थान के लिए अनलोडिंग के साथ।**

गाड़ी का अधिकतम भार वहन क्षमता	**3-4MT**	**4-5MT**	**8-9 MT**
गाड़ी का प्रकार/model			
प्रस्तावित दर, प्रति किमी (Rate/km)*			

***निविदा में भरे गये परिवहन दर 01 जून 2021 को प्रचलित डीजल की कीमत (RATE) पर आधारित होंगी।**

दिनाकं

निविदादाता का हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)

THE JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK
PRODUCERS' FEDERATION LTD.
FTC CAMPUS, SEC-2, DHURWA, RANCHI – 834004
Ph.: +91-(0651) 2543055/62, MOB: 7544003404/7360035219,
Email: purchase@jmf.coop

10. परिवहन दर फॉर्मेट (प्रति बैग दर पर): होटवार से विभिन्न स्थान तक अनलोडिंग के साथ

Capacity of vehicle	Unit (Base of Rate)	Location	Rate (Rs) including unloading *
1-2 MT	50 Kg Bag Basis	District of Ranchi, Khunti, Ramgarh, Lohardaga, Chatra, Hazaribag	
3-4 MT	50 Kg Bag Basis	District of Ranchi, Khunti, Ramgarh, Lohardaga, Chatra, Hazaribag	
5-6 MT	Bag Basis	District of Ranchi, Khunti, Ramgarh, Lohardaga, Chatra, Hazaribag	

नोट : ***निविदा में भरे गये परिवहन दर 01 जून 2021 को प्रचलित डीजल की कीमत (RATE) पर आधारित होंगी।**

दिनाकं

निविदादाता का हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)

THE JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LTD.
FTC CAMPUS, SEC-2, DHURWA, RANCHI – 834004
Ph.: +91-(0651) 2543055/62, MOB: 7544003404/7360035219,
Email: purchase@jmf.coop

परिवहन निविदा की मुख्य शर्ते

1. निविदादाता निविदा प्रपत्र की शर्तो को भली-भांति पढ़कर एवं समझकर भरेंगे | अगर निविदा संबंधी कोई जानकारी / स्पष्टता प्राप्त करनी है तो मुख्य कार्यालय के फ़ोन न0. 7544003404/7360035219 पर संपर्क किया जा सकता है |

2. अनुबंध शुरू में बारह महीने की अवधि के लिए होगा जिसे समान नियमों और शर्तों पर संतोषजनक सेवा पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

3. निर्गत निविदा प्रपत्र में भरी गई निविदा ही स्वीकार की जायेगी | **भरी गई निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता का मुहर के साथ हस्ताक्षर अनिवार्य है ।**

4. निविदा प्रपत्र रू0 500.00 (पॉच सौ रूपये मात्र) नगद जमा कर एडमिन ऑफिस, होटवार राँची से कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट www.jmf.coop से डाउनलोड कर रू0 500.00 (पॉच सौ रूपये) की किसी राष्ट्रीयकृत /अनुसूचित बैंक से बैंक ड्राफ्ट जो **''झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड''** के नाम होगा तथा राँची में भुगतेय होगा, संलग्न कर भेजा जा सकता है।

5. यदि निविदादाता निविदा प्रपत्र पशु आहार कारखाना के वेबसाईट से डाउन लोड करते है, तो भरी गयी निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र मुल्य 500.00 (ए पॉच सौ रूपये) का डिमांड ड्राफ्ट जो **''झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड''** के नाम तथा राँची में भुगतेय होगा अन्यथा उनकी निविदा आमान्य होगा।

6. निविदा के साथ अग्रधन की राशि रुपये 2000/-मात्र(दो हजार रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जो "झारखण्ड स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स फेडरेशन लिमिटेड" के नाम होगा एवं राँची में भुगतेय होगा अग्रधन के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा | इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा | निविदा में असफल निविदादाता का अग्रधन चेक या RTGS/NEFT के द्वारा वापस कर दिया जायेगा |

7. निविदा में भरे गये परिवहन दर **01 जून 2021** को प्रचलित डीजल की कीमत (Rate) **90.30** राँची के दर पर आधारित होगी |

8. निविदा में भरे गये दर में परिवहन संबंधी सभी खर्च एवं सर्विस टैक्स शामिल होंगे | संवेदक द्वारा समर्पित विपत्रों में से नियमानुसार सर्विस टैक्स एवं इनकम टैक्स (TDS) की कटौती के उपरान्त ही भुगतान कियाजायेगा|

9. झारखंड मिल्क फेडरेशन को छोड़कर किसी भी प्रकार की अन्य सामग्री को वाहन में लोड नहीं किया जाना चाहिए। ट्रांसपोर्टर को यह देखना होगा कि सीएफ़ प्लांट/डेयरी प्लांट से कोई भी सामग्री बिना उचित दस्तावेज के उसके वाहन में अनधिकृत रूप से बाहर नहीं ले जाया जाना है,

10. सामान परिवहन के दौरान रास्ते में वाहन दुर्घटना ग्रस्त होने की स्थिति में निर्धारित गन्तव्य स्थानों तक परिवहनकर्ता को अपने खर्च पर (लोडिंग –अनलोडिंग के साथ) दुसरे वाहन से भेजने की व्यवस्था अविलम्ब करना होगा, ताकि पशुआहार, मिनरल मिक्सचर, चारा बीज एवं अन्य सामग्री की बर्बादी न हो, ताकि ससमय गन्तव्य स्थान पर आपूर्ति हो पाये

11. सामान परिवहन के दौरान रास्ते में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त खर्च (टोल टैक्स छोडकर) परिवहन कर्ता की जिम्मेदारी होगी| बिल के साथ टोल टैक्स पावती/पर्ची/ Fastag statement जमा करने पर टोल टैक्स का भुगतान बिल के साथ किया जायेगा |

12. विशेष परिस्थिति में किसी दिन गाड़ी लोड /अनलोड नहीं होने की स्थिति में किसी प्रकार का हर्जाना का दावा मान्य नहीं होगा

13. ट्रक लोडिंग का कार्य पूर्वाहन 10.00 बजे से अपराहन 5.30 बजे तक ही किया जायेगा ताकि अपराहन 06:00 बजे तक चालान आदि प्रपत्र निर्गत किया जा सके|

14. झारखण्ड मिल्क फेडरेशन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सामग्री ले जाकर निर्धारित गन्तव्य स्थान तक सुरक्षित पंहुचाना होगा, सामग्री का आपूर्ति एक से अधिक स्थान पर करने हेतु दिया जा सकता है तथा वहाँ से पावती कराकर चालान /रिसीप्ट JMF ऑफिस में जमा करना अनिवार्य होगा | सभी जगह पर अनलोडिंग की जिम्मेवारी परिवहनकर्ता की होगी|

15. संवेदक जिन्हें कार्य आवंटित होगा उनके द्वारा भेजी गई गाड़ी के चालक, खलासी द्वारा किसी जेएमएफ़ कर्मचारी, कारखाना/कार्यालय को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाई गई तो उसकी जिम्मेवारी संवेदक की होगी तथा उसकी भरपाई करनी होगा अथवा उनके परिवहन बिल से अनुमानित राशि की कटौती की जायेगी|

16. सामान परिवहन के समय, सामग्री भीगे रूप में पाये जाने, गिनती में कम पाये जाने एवं किसी अन्य प्रकार के क्षति के लिये परिवहन संवेदक जिम्मेवार होंगे| उस स्थिति में उनके परिवहन बिल से सममूल्य धनराशि की कटौती की जायेगी |

17. गाड़ी की माँग जे.एम.एफ़.द्वारा समय समय पर की जायेगी एवं जिसकी सूचना उसी दिन या 1 दिन पूर्व दे दिया जाएगा।

18. यदि परिवहन संवेदक द्वारा गाड़ी माँग की पूर्ति पूर्णत: या अंशत: 2 दिन तक नहीं की जाती है तो JMF अन्य स्त्रोत से गाड़ी की व्यवस्था कर सामग्री आपूर्ति करने के लिये पूर्णत: स्वतंत्र होगा| उक्त मद में खर्च हुए अतिरिक्त राशि को संवेदक के परिवहन विपत्र से समायोजित/कटौती की जाएगी|

19. यदि कुल गंतव्यों में से एक या अधिक निविदादाता सफल होते है तो वैसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित होगा की वह बाँट कर एक या एक से अधिक निविदादाताओं को परिवहन कार्य दे सकते है|

20. ईधन के मूल्य में वृद्धि या कमी होने की स्थिति में वाहन के प्रति किमी व्यय पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार दर में वृद्धि या कमी की जायेगी|इस दशा में वाहन 1.00-4.00 एमटी की क्षमता की माईलेज 10 किमी /ली एवं 5-6 एमटी क्षमता की गाड़ी का माइलेज 8.00 किमी/ली माईलेज मान्य होगी|ईधन के मूल्य में समेकित रूप से रुपया 02.00 प्रति ली की दर से कमी/वृद्धि की दर से मान्य होगी|

21. ईधन के मूल्य में वृद्धि या कमी होने की स्थिति में प्रति बैग ढुलाई की स्थिति में रुपया दर 02.00 प्रति ली की दर से कमी/वृद्धि होने पर प्रति बैग 50 पैसा की बढोत्तरी/घटोत्तरी की जायेगी|

22. सफल निविदादाता जिन्हें कार्यादेश निर्गत होगा, उन्हे प्रति माह की पाँच तारीख तक भुगतान हेतु सारे संबंधित प्रपत्रों को अपने परिवहन बिल के साथ समर्पित करना होगा, सारे विपत्र के जांचोपरान्त विपत्र का भुगतान चेक/बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा |

23. सफल निविदादाता को झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के साथ Rs.100 स्टाम्प पेपर अनुवंध में करना होगा एवं सिक्योरिटी राशि जमा करना होगा, जो वाहन के क्षमता के आधार पर तय किया जायेगा | साथ ही वाहन का निबंधन दस्तावेज़ निविदाकर्ता के नाम पर होना चाहिये एवं वाहन की क्षमता RTO के द्वारा प्रमाणित पेपर सभी दस्तावेज़ के साथ संलग्न करना आवश्यक है |

24. सफल निविदादाता को रु० 50,000.00 (रुपया पचास हजार मात्र) जे०एम०एफ० में सिक्योरिटी/सुरक्षा धनराशि के रुप में जमा करना होगा और इस सिक्योरिटी की धनराशि को अनुबंध-पत्र समाप्त होने तथा "नो ड्यूज पत्र की अदेयता के पश्चात 01 माह के अन्दर वापस कर दिया जाएगा | इस राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा तथा एकरारनामा अवधि में निविदा के किसी शर्त के उल्लंघन अथवा अवहेलना करने पर उक्त राशि को पूर्णत: जब्त करने अथवा आंशिक कटौती के लिये 'झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंध लिमिटेड स्वतंत्र होगा।

25. वाहन चालक के पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ (वैध ड्राइविंग लाइसेन्स एवं वाहन से संबन्धित सभी दस्तावेज) का छाया प्रति गाड़ी में उपलब्ध रहना अनिवार्य है | किसी भी दस्तावेज़ के अभाव में प्रशासन के द्वारा की कार्यवाही की पूर्ण जिम्मेवारी निविदाकर्ता की होगी |

26. जेएमएफ़ द्वारा निर्वाध पशु आहार एवं अन्य सामग्री समय पर दुग्ध उत्पादकों को उपलब्ध करवाने हेतु दो परिवहनकर्ता की आवश्यकता होगी | क्योंकि किसान द्वारा पशु आहार एवं अन्य सामग्री की कीमत का अग्रिम भुगतान किया जाता है | प्राय: देखा गया है कि पशु आहार एवं अन्य सामग्री की माँग बढ़ जाने की स्थिति में पहले परिवहनकर्ता द्वारा वाहन की आपूर्ति करने मे असमर्थ रहते है तो दूसरे परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन का कार्य सम्पन्न करने का अधिकार जेएमएफ़ को रहेगा | इसमे किसी भी परिवहन कर्ता को आनुपातिक या आंशिक मात्रा में परिवहन करने हेतु आदेश जारी नहीं किया जायेगा |

27. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबंध निदेशक, जे°एम°एफ़° मध्यस्थ होंगे तथा उनका निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों को मान्य होगा |

28. अनुबंध के मसौदे की एक प्रति अनुबंध-I के रूप में संलग्न है

29. बिना कारण बताये एक या सभी निविदा को किसी भी स्तर में रद्द करने का अधिकार प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मिल्क फेडरेशन को सुरक्षित रहेगा |

निविदा की सभी शर्त स्वीकार्य एवं मान्य है

दिनाकं:

निविदादाता का हस्ताक्षर

(मुहर के साथ)

THE JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK PRODUCERS' FEDERATION LTD.
FTC CAMPUS, SEC-2, DHURWA, RANCHI – 834004
Ph.: +91-(0651) 2543055/62, MOB: 7544003404/7360035219,
Email: purchase@jmf.coop

अनुबंध-I

पशु आहार एवं अन्य सामग्री परिवहन हेतु अनुबन्ध

दिनाँक..को झारखंड स्टेट को-आपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स फेडरेशन लि०, राँची, (जे०एम०एफ०) एवं आवेदक श्री ...., पिता का नाम ....स्थायी पता ...., जिसमे उनके उत्तराधिकारी एवं अभिकर्ता भी सम्मिलित है, के मध्य जिसे एतद द्वारा परिवहनकर्ता कहा गया है, पशु आहार एवं अन्य सामग्री के परिवहन हेतु दिनाँक .... से दिनाँक .... तक निम्नलिखित शर्तो पर अनुबन्ध किया जाता है :

1. पशु आहार एवं अन्य सामग्री पशु आहार फैक्ट्री, होटवार से .... जिला के गाँव स्तर के दुध संकलन समूह तक पहुँचाने तथा अनलोडिंग के साथ परिवहन दर रु०............................ प्रति बैग(50 किग्रा)/प्रति कि.मी. होगा |
2. कांट्रैक्ट की अवधि पूरी होने पर आपसी सहमति से इस अनुबंध की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ाने का अधिकार जेएमएफ़ को होगा|
3. ईधन के मूल्य में वृद्धि या कमी होने की स्थिति में वाहन के प्रति किमी व्यय पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार दर में वृद्धि या कमी की जायेगी | इस दशा में वाहन 1.00-4.00 MT की क्षमता की माईलेज 10 किमी /ली। एवं 5-6 एमटी क्षमता की गाड़ी का माइलेज 8.00 किमी/ली माईलेज मान्य होगी | ईधन के मूल्य में समेकित रूप से रुपया 02.00 प्रति ली की दर से कमी/वृद्धि होने की दर से मान्य होगी |
4. ईधन के मूल्य में वृद्धि या कमी होने की स्थिति में प्रति बैग ढुलाई की स्थिति में रुपया दर 02.00 प्रति ली की दर से कमी/वृद्धि होने पर प्रति बैग 50 पैसा की बढोत्तरी/घटोत्तरी की जायेगी |
5. किमी के स्थिति में वाहन में जिस स्थान से सामग्री लोड होगा उस वाहन की किलोमीटर की गणना वही शुरू होगी और गंतव्य स्थान पर किमी बन्द किया जायेगा | आने एवं जाने की दूरी का भुगतान किया जायेगा | गंतव्य स्थान से भी सामग्री लोड कर जेएमएफ़ कार्यालय मंगाया जा सकता है |
6. जे०एम०एफ० कार्यालय द्वारा दिए गये निर्देशानुसार पशुआहार एवं अन्य सामग्री, फैक्ट्री से उठाकर निर्धारित गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुँचाना तथा वहाँ से पावती पर्ची जे०एम०एफ० कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है | सामग्री का आपूर्ति एक से अधिक स्थान पर करने हेतु दिया जा सकता है | सभी जगह पर अनलोडिंग की जिम्मेवारी परिवहनकर्ता की होगी |
7. परिवहनकर्ता को प्रति माह सात तारीख तक भुगतान हेतु सारे संबन्धित पपत्रों को अपने बिल के साथ समर्पित करना होगा, सारे विपत्रों के जाँच के उपरान्त विपत्र का भुगतान चेक/ बैंक के माध्यम से किया जायेगा |
8. जे०एम०एफ० कार्यालय द्वारादिए गये निर्देशानुसार (Indentके अनुसार) परिवहन कर्ता द्वारा दिये जाने वाले वाहन की क्षमता का पूर्ण ज़िम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी | यदि परिवहन कर्ता द्वारा क्षमता से अधिक सामग्री का ढुलाई किया जाता है तो ओवरलोडिंग की किसी भी स्थिति में जेएमएफ़ की कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी | परिवहन कर्ता द्वारा भेजी गयी गाड़ी यदि रास्ते में कहीं पर प्रशासन द्वारा पकड़ी जाती है, तो उस स्थिति में गाड़ी छुड़ाने से लेकर लदे हुए पूरे सामग्री की पूर्ण ज़िम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी |

9. सामग्री परिवहन के दौरान रास्ते में वाहन दुर्घटना होने की स्थिति में निर्धारित गन्तव्य स्थानों तक परिवहन कर्ता को अपने खर्च पर (लोडिंग –अनलोडिंग के साथ) दूसरे वाहन से भेजने की व्यवस्था अबिलंब करना होगा, ताकि पशु आहार, मिनरल मिक्सचर एवं अन्य सामग्री की बर्बादी न हो,तथा ससमय गंतव्य स्थानों पर आपूर्ति हो पाये |

10. विशेष परिस्थिति में किसी दिन गाड़ी लोड/अनलोड नहीं होने की स्थिति में किसी प्रकार का हर्जाना नहीं दिया जायेगा|

11. ट्रक लोडिंग का कार्य पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराहन 05:30 बजे तक ही किया जायेगा ताकि अपराहन 06:00 बजे तक चालान आदि निर्गत किया जा सके |

12. परिवहन कर्ता द्वारा भेजी गयी वाहन के चालक, खलासी द्वारा किसी जेएमएफ़ कर्मचारी, कारखाना/ कार्यालय को किसी प्रकार क्षति पहुँचाई गई तो उसकी जिम्मेदारी कांट्रेक्टर की होगी तथा उसकी भरपाई करनी होगी अथवा उनके परिवहन बिल से कटौती की जायेगी |

13. सामग्री परिवहन के समय सामग्री भींगे रूप में पाये जाने, गिनती मे कम पाये जाने एवं किसी अन्य प्रकार के क्षति के लिये परिवहन कर्ता स्वयं ज़िम्मेवार होंगे | उस स्थिति में उनके परिवहन बिल से सममूल्य धनराशि की कटौती की जायेगी |

14. परिवहन कर्ता या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति वाहन से पशु आहार इत्यादि चुराते या बेचते हुए पाया जाता है तो अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा तथा परिवहन बिल के साथ सिक्योरिटी रकम को जब्त कर ली जायेगी |

15. गाड़ी की माँग जे०एम०एफ० द्वारा समय -समय पर की जायेगी एवं जिसकी सूचना 1-2 दिन पूर्व दे दिया जायेगा |

16. यदि परिवहनकर्ता द्वारा गाड़ी माँग की पूर्ति पूर्णतः या अंशत लगातार 3 दिन तक नहीं की जाती है,JMF अन्य स्रोत से गाड़ी की व्यवस्था कर सामग्री आपूर्ति करने के लिये पूर्णतः स्वतंत्र होगा | उक्त मद में खर्च हुए अतिरिक्त राशि को संवेदक के परिवहन विपत्र से समायोजित/ कटौती की जायेगी |

17. पशु आहार एवं अन्य सामग्री को धूप, बरसात इत्यादि से नष्ट होने से बचाने के लिए वाहन को समुचित कवरिंग हेतु त्रिपाल आदि कि व्यवस्था करनी होगी|

18. यदि पशु आहार वाहन को किसी व्यक्ति/ समूहों द्वारा क्षति पहुचाई जाती है तो जे०एम०एफ०जिम्मेवार नही होगा | इसके अतिरिक्त, परिवहन के समय वाहन को किसी प्रकार कि क्षति पहुचती है तो उसके लिए जे०एम्०एफ० जिम्मेवार नही होगा |

19. पशु आहार कि माँग बढ़ने कि स्थिति में किसानो तक समय पर पशुआहार आपूर्ति करने हेतु आतिरिक्त वाहन कि व्यवस्था परिवहनकर्ता कि जिम्मेदारी होगी |

20. परिवहनकर्ता की ज़िम्मेदारी होगी की आपूर्ति किये गये सभी वाहनों के साथ वैधानिक कागजात यथा, चालक अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेन्स), वाहन बीमा इत्यादि के अद्द्तन स्थिति में हो, अन्यथा किसी इमरजेंसी स्थिति में बीमा दावा अस्वीकार होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति के जिम्मेवारी परिवहन संवेदक की होगी |

21. अनुबंध होने कि दशा में परिवहनकर्ता एवं चालक का स्थायी पता तथा नवीनतम फोटो एवं वाहन के अन्य कागजात प्रमाणित कराकर जे०एम०एफ० को प्रस्तुत करना होगा |

22. सामान परिवहन के दौरान रास्ते में किसी भी प्रकार के अतरिक्त खर्च (टोल टैक्स छोड़कर) परिवहनकर्ता की ज़िम्मेदारी होगी | परिवहन बिल के साथ टोल टैक्स पावती /पर्ची/ Fastag statement जमा करने पर ही अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा |

23. परिवहनकर्ता को रु० 50,000.00 (रुपया पचास हजार मात्र) जे०एम०एफ० में सिक्योरिटी/सुरक्षा धनराशि के रुप में जमा करना होगा और इस सिक्योरिटी की धनराशि को अनुबंध-पत्र समाप्त होने तथा ''नो ड्यूज पत्र की अदेयता के पश्चात 01 माह के अन्दर वापस कर दिया जाएगा | इस राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा तथा एकरारनामा अवधि में निविदा के किसी शर्त के उल्लंघन अथवा अवहेलना करने पर उक्त राशि को पूर्णत: जब्त करने अथवा आंशिक कटौती के लिये झारखण्ड स्टेट को-आपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स फेडरेशन लिमिटेड स्वतंत्र होगा।

24. किसी प्रकार की अनियमितता एवं गलत विवरणी पाये जाने के उपरान्त 24 घंटे के अग्रिम नोटिस के तत्काल प्रभाव से पूर्व कार्यालय आदेश निरस्त करते हुए वाहन को हटाने का अधिकार प्रबंध निदेशक, जे०एम०एफ०, का होगा |

25. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबंध निदेशक, जे०एम०एफ०,मध्यस्थ होंगे तथा उनका निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों को मान्य होगा |

झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड के लिये	परिवहनकर्ता का हस्ताक्षर
....	....
1. गवाह-	1. गवाह-
पता -	पता -
2. गवाह-	2 . गवाह-
पता -	पता -